



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-30.01.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर से सम्बन्धित मुकदमे में प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 600/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-140/92 धारा 498-ए,34,506(2) भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- गुलाब सोनकर पुत्र स्व0 पंचम व 02- लालता प्रसाद पुत्र स्व0 पंचम समस्त निवासीगण- 530/152 थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 30.01.2025 को माननीय न्यायालय ACJM-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त 01- गुलाब सोनकर व 02- लालता प्रसाद उपरोक्त को अंतर्गत धारा 498-ए/34 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक की सजा व 300/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 506(2) भा0द0वि0 में 300/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।